

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9508

दिनांक - 05.12.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 करनाराम पुत्र सालुराम जाति मेघवाल निवासी देरासर तहसील रामसर व जिला बाड़मेर। 2 खेताराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी जटियों का वास, बाड़मेर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 3 गेरो पत्नि हीराराम जाति मेघवाल निवासी काछबाणियों की ढाणी, देरासर तहसील रामसर जिला बाड़मेर

1 मोडाराम 2 भीयाराम पिसरान खेमाराम जाति मेघवाल 3 रमजन खां पुत्र मेहरा खां 4 इसान खां पुत्र साहेबना खां 5 जोधा खां पुत्र मीठा खां जाति मुसलमान निवासी देरासर तहसील रामसर जिला बाड़मेर 6 नसीर खां पुत्र रामता खां 7 सदीक खां पुत्र मेहरा खां 8 अलड खां पुत्र जम्मा खां 9 खबड खां पुत्र लालु खां जाति मुसलमान 10 दमाराम पुत्र उगराराम 11 मोडाराम पुत्र गेनाराम 12 बाबुराम पुत्र मानाराम जाति जाट 13 गोगाराम पुत्र आदुराम 14 पनाराम पुत्र गोरधनराम 15 थानाराम पुत्र 16 घमण्डाराम पिसरान भोमाराम 17 पप्पुराम पुत्र तुलसाराम 18 पेमाराम पुत्र केसाराम जातियान मेघवाल निवासी असाडा की बेरी तहसील व जिला बाड़मेर 19 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 66/2025

दिनांक- 28/11/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा असाढा की बेरी पटवार हल्का जसाई तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 391/2 रकबा 10.7808 हैक्टेयर, खसरा संख्या 388/2 रकबा 9.1297 हैक्टेयर, खसरा संख्या 390/2 रकबा 1.6511 हैक्टेयर, खसरा संख्या 389/2 रकबा 5.8275 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाही करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 05.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9509- 9512

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण करनाराम पुत्र सालुराम जाति मेघवाल निवासी देरासर तहसील रामसर व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मोडाराम पुत्र खेमाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी देरासर तहसील रामसर जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर